

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2276]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 19, 2015/आश्विन 27, 1937

No. 2276]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2015/ASVINA 27, 1937

**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व विभाग)**

**(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)**

**शुद्धिपत्र**

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2015

**(आयकर)**

**का.आ. 2858(अ).**—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 13 नवम्बर, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 2915 (अ), दिनांक 13 नवम्बर, 2014 की अनुसूची-I में,-

- (i) क्रम सं. 1 के सामने, कालम (2) में “अहमदाबाद” के स्थान पर “गुजरात” पढ़ें;
- (ii) क्रम सं. 2 के सामने, कालम (2) में “बेंगलुरु” के स्थान पर “कर्नाटक एवं गोवा” पढ़ें;
- (iii) क्रम सं. 3 के सामने, कालम (2) में “भोपाल” के स्थान पर “मध्य प्रदेश और छत्तीस गढ़” पढ़ें;
- (iv) क्रम सं. 4 के सामने, कालम (2) में “चंडीगढ़” के स्थान पर “उत्तर पश्चिम क्षेत्र” पढ़ें;
- (v) क्रम सं. 5 के सामने, कालम (2) में “चेन्नई” के स्थान पर “तमिलनाडु एवं पुडुचेरी” पढ़ें;
- (vi) क्रम सं. 6 के सामने, कालम (2) में “हैदराबाद” के स्थान पर “आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा एवं तेलंगाना” पढ़ें;
- (vii) क्रम सं. 7 के सामने, कालम (2) में “जयपुर” के स्थान पर “राजस्थान” पढ़ें;
- (viii) क्रम सं. 8 के सामने, कालम (2) में “कोच्चि” के स्थान पर “केरल” पढ़ें;

- (ix) क्रम सं. 9 के सामने, कालम (2) में “कोलकाता” के स्थान पर “पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र” पढ़ें;
- (x) क्रम सं. 10 के सामने, कालम (2) में “लखनऊ” के स्थान पर “उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड” पढ़ें;
- (xi) क्रम सं. 11 के सामने, कालम (2) में “पटना” के स्थान पर “बिहार एवं झारखंड” पढ़ें;
- (xii) क्रम सं. 12 के सामने, कालम (2) में “पुणे” के स्थान पर “महाराष्ट्र (मुम्बई को छोड़कर)” पढ़ें;

[अधिसूचना सं. 81/2015 /फा.सं. 187/37/2014-आ.क.नि.- I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक